

भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No. 33 /2023 New Delhi, dated:08.11.2023

No.2021/ACII/9/2/e3349409

PFAs All Zonal Railways/ PUs.

Sub: Authorisation of IDFC First Bank Limited for handling e freight business on behalf of Ministry of Railways and approval of e FPB for collection, settlement and reporting of e-freight collection and allotment of privilege code for settlement with RBI/CAS/Nagpur.

Please find enclosed copies of RBI/ DGBA/ Mumbai's letter no. CO.DGBA.GBD.No. S530/47-01-033/2023-2024 dated 21/08/2023 authorising IDFC First Bank Limited for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways and RBI/ DGBA/ Mumbai's letter no. CO.DGBA. GBD.No./ S590/47-01-033/2023-2024 authorising IDFC First Bank Ltd, CMS HUB Branch, Navi Mumbai (IFSC: IDFB 0010204) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of e-freight collection on behalf of Ministry of Railways for information and necessary action.

DA: As above

(Ajay Bartwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No. 23047018

E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

Copy for information to

 Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E-Block, GPO Complex, Behind DDA Headquarters, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.

2. Head Government Banking, IDFC First Bank Limited, WBO, Express Building , 2^{nd} Floor, 9-10 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi -110002

भारत सरकार Government of india रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड Railway Board)

आरबीए सं. 33/2023

सं. 2021/एसी॥/9/2/ई3349409

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2023

प्रधान वित्त सलाहकार सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां ।

विषय: रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट कारोबार के संचालन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को प्राधिकृत करना तथा ई-फ्रेंट के संग्रहण, भुगतान और रिपोर्टिंग के लिए ई एफपीबी का अनुमोदन करना तथा आरबीआई/सीएएस/नागपुर के साथ भुगतान के लिए विशेषाधिकार कोड का आबंटन।

कृपया आरबीआई/डीजीबीए/मुंबई के दिनांक 21/08/2023 के पत्र सं. सीओ.डीजीबीए.जीबीडी. सं. एस530-/47-01-033/2023-2024, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट कारोबार के संचालन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है तथा आरबीआई/डीजीबीए/मुंबई के पत्र सं. सीओ.डीजीबीए.जीबीडी. सं. एस590-/47-01-033/2023-2024, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट संग्रहण के भुगतान एवं रिपोर्टिंग के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सीएमएस हब शाखा, नवी मुंबई (आईएफएससी: आईडीएफबी 0010204) को प्राधिकृत किया गया है, की संलग्न प्रतियों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवलोकन करें।

संलग्न : यथोक्त

5.

(अजय बर्तवाल) संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए) रेलवे बोर्ड फोन नं. 23047018

ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित

- 1. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, डीडीए मुख्यालय के पीछे, विकास सदन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली।
- 2. हेड गवर्नमेंट बैंकिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, डब्ल्यूबीओ, एक्सप्रेस बिल्डिंग, द्वितीय तल, 9-10 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002







www.rbi.org.in

CO.DGBA.GBD.No.S530/47-01-033/2023-2024

21 अगस्त 2023

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड सरकारी बैंकिंग कॉपेरिट कार्यालय, विबग्योर टावर्स सी-62, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - 400 051

महोदय,

रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट कारोबार के संचलन के लिए आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक का प्राधिकरण

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 अगस्त 2023 के पत्र सं. R-23001/1/2021-GBA-CGA/540 के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, हम आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड को रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट कारोबार के संचलन के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. तदनुसार, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करें। साथ ही बैंक द्वारा उपरोक्त सरकारी कारोबार प्रारम्भ किए जाने की तारीख मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर- 440 001 को भेजने

The Managing Director and CEO IDFC FIRST Bank Ltd.
Government Banking
Corporate Office, Vibgyor Towers
C-62, Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400 051

Dear Sir.

Authorisation of IDFC FIRST Bank Ltd. for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways

On the basis of the request received from the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India vide letter No. R-23001/1/2021-GBA-CGA/540 dated August 14, 2023 we hereby authorise IDFC FIRST Bank Ltd. for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways.

2. Accordingly, IDFC FIRST Bank Ltd. should adhere to the instructions issued by Reserve Bank of India, the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance and Ministry of Railways from time to time. Further, the date of commencement of the above mentioned Government business by the bank may please be communicated to all concerned including the Chief General Manager, Reserve

के साथ-साथ सभी संबन्धितों को सूचित किया जाये तथा इसकी सूचना हमें भी दें। Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur-440 001, under advice to us.

भवदीय/ Yours faithfully

3/

(श्रीनी नायर / Sreeni Nair) उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

उक्त दिनांक का परांकन डीजीबीए.जीबीडी.सं. \$531/47-01-033/2023-2024 Endt: DGBA.GBD.No.\$531/47-01-033/2023-2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित: Copy forwarded for information and necessary action to :

1. **S531** महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110 023

The Controller General of Accounts, O/o the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhavan, E Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110 023.

2. **\$532** संयुक्त निदेशक (वित्त), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा क्र. 417, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110 001

The Joint Director (Finance), Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, Room No. 417, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi – 110 001.

3. **S533** मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, पूर्व उच्च न्यायालय रोड, सिविल लाईन्स, पी.बी. सं. 15, नागपुर- 440 001

The Chief General Manager, Reserve Bank of India, Additional Office Building, Central Accounts Section, East High Court Road, Civil Lines, P.B.No.15, Nagpur - 440 001.

(श्रद्धा सोलंकी/ Shraddha Solanki)

प्रबंधक/Manager





www.rbi.org.in

CO.DGBA.GBD.No.S590/47-01-033/2023-2024

08 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड सरकारी बैंकिंग कॉपोरेट कार्यालय, विबग्योर टावर्स सी-62, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - 400 051

महोदय,

रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट संग्रहण के निपटान और रिपोर्टिंग के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के रूप में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड, सीएमएस हब शाखा, नवी मुंबई (आईएफएससी:IDFB0010204) का प्राधिकरण

रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 25 अगस्त 2023 के पत्र सं. 2021/ACII/9/2/e के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, हम रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट संग्रहण के निपटान और रिपोर्टिंग के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के रूप में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड, सीएमएस हब शाखा, नवी मुंबई (आईएफएससी: IDFB0010204) को प्राधिकृत करते हैं।

2. तदनुसार, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करें। साथ ही बैंक द्वारा उपरोक्त सरकारी कारोबार प्रारम्भ किए जाने The Managing Director and CEO IDFC FIRST Bank Ltd.
Government Banking
Corporate Office, Vibgyor Towers
C-62, Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Authorisation of IDFC FIRST Bank Ltd., CMS HUB Branch, Navi Mumbai (IFSC: IDFB0010204) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of the e-freight collection on behalf of Ministry of Railways

On the basis of the request received from the Railways, Railway Board. Ministry Government India vide letter 2021/ACII/9/2/e dated August 25, 2023, we hereby authorise IDFC FIRST Bank Ltd., CMS HUB Branch. Navi Mumbai (IFSC: IDFB0010204) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of the e-freight collection on behalf of Ministry of Railways.

2. Accordingly, IDFC FIRST Bank Ltd., should adhere to the instructions issued by Reserve Bank of India, the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance and Ministry of Railways from time to time. Further,

की तारीख मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर- ४४० ००१ को भेजने के साथ-साथ सभी संबन्धितों को स्चित किया जाये तथा इसकी सूचना हमें भी दें।

the date of commencement of the above mentioned Government business by the bank may please be communicated to all concerned including the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur-440 001, under advice to us.

010 Ky

भवदीय/ Yours faithfullý

(श्रीनी नायर 🕽 Sreeni Nair) उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

उक्त दिनांक का परांकन डीजीबीए.जीबीडी.सं. S591-593/47-01-033/2023-2024 Endt: DGBA.GBD.No.S591-593/47-01-033/2023-2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित: Copy forwarded for information and necessary action to :

1. \$591 महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110 023

The Controller General of Accounts, O/o the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhavan, E Block, GPO Complex, INA, New Delhi - 110 023.

2. **5592** संयुक्त निदेशक (वित्त), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा क्र. 417, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110 001

The Joint Director (Finance), Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, Room No. 417, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi – 110 001.

3. \$593 मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, पूर्व उच्च न्यायालय रोड, सिविल लाईन्स, पी.बी. सं. 15, नागपुर- 440 001

The Chief General Manager, Reserve Bank of India, Additional Office Building, Central Accounts Section, East High Court Road, Civil Lines, P.B.No.15, Nagpur -440 001.

(श्रद्धीं सोलंकी/ Shraddha Solanki)

प्रबंधक/Manager